

निविदायक को सामान्य अनुदेश एवं आवश्यक शर्तें

(वित्तीय वर्ष 2019-20)

- 1- कोई भी टेण्डर जिसमें दी गई शर्तों में किसी के परिवर्तन का प्रस्ताव हो या जिसमें किसी प्रकार की कोई अन्य शर्त का प्रस्ताव रखा गया हो , अस्वीकृत किया जा सकता है। जिस कार्य के लिये टेण्डर भेजा जाय निविदा विज्ञापन के अनुसार उसका नाम लिफाफे के ऊपर लिखा जाय ।
- 2- निविदा प्रपत्र में दरों को आइटम के सामने ही लिखा जाय ,उसे अगली पंक्ति में नहीं लिखा जाना चाहिए।
- 3- निविदा प्रपत्र में दरों को अंकों में ओर शब्दों में लिखने की ऐसी सावधानी बरती जाना चाहिए कि उनके बीच में और कुछ लिखना संभव न हो सके। दरें अंकों में लिखने की दशा में पहले रु0 बीच में दशमलव और फिर पैसे लिखना चाहिए। उदाहरण के लिये जैसे रु. 2-15 पैसे। जब दर रुपये में हो तो उसे पूरा द शमलव के बाद तक लिखा जाना चाहिए। कोई भी कालम रिक्त न छोड़ें। रिक्त कालम को निविदा में नहीं गिना जायेगा।
- 4- भरी हुई निविदा में कहीं भी कटान नहीं होना चाहिए , निविदा में जो भी दरें भरी गई हों ,उसे साफ-साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए। यदि कहीं कटिंग पायी जाती है तो उस दर को निविदा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 5- निविदा प्रपत्र में दरें आइटम वाइज जिस प्रकार की ब्राण्ड की माँगी गई हो उसी के अनुसार रेट कोट किये जाना चाहिए। दरों में किसी प्रकार का टैक्स सम्मिलित न किया जाय। जिन वस्तुओं में टैक्स आवश्यक हो उसे नियमानुसार अलग से प्रदर्शित किया जाये ।
- 6- किसी भी सशर्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा निविदा के सम्बन्ध में अन्तिम रूप में निर्णय लेने का अधिकार प्रधानाचार्य को है जिसके लिये कोई निविदायक किसी भी न्यायालय में चुनौती देने का अधिकारी नहीं होगा।
- 7- टेण्डर के साथ दी जाने वाली प्रतिभूति राशि प्रधानाचार्य , मेडिकल कालेज, झाँसी के नाम बंधक बनाकर लगाई जायेगी। प्रतिभूति राशि के बिना किसी भी निविदायक की निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
- 8- निविदायक द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय केवल दरों का लिफाफा अलग तथा निविदा के वांछित प्रमाण पत्र अर्नेस्टमनी अलग लिफाफे में रखकर मुहर बन्द निविदा पेटी में डाली जायेगी। विलम्ब से पहुंचने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
- 9- किसी भी अपूर्ण निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ,निविदा में जो भी वांछित प्रमाण पत्र मांगे गये हैं उनकी छायाप्रतियाँ जैसा नि दिष्ट किया गया है , संलग्न करना होगा। निविदा के सम्बन्ध में किसी सूचना एवं उस पर निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य को होगा

जिसका पालन निविदायक को करना होगा । प्रधानाचार्य के निर्णय एव शर्तों का पालन निविदायक द्वारा न किये जाने पर बिना किसी सूचना के निविदा निरस्त करके नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा निविदायक द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि को 30/09/2018 शासन हित में जब्त कर ली जायेगी।

- 10- निविदायक द्वारा शासकीय कार्य में अनावश्यक बाधा पहुंचाने एवं उद्धण्डता करने पर उसकी निविदा को निरस्त करते हुए अर्थदण्ड की कार्यवाही करने/धरोहर राशि जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी ।
- 11- निविदायक को निविदा प्रपत्र में संलग्न सभी प्रपत्रों में हस्ताक्षर करना होगा तथा संलग्न किये जाने वाले वांछित प्रपत्रों का स्पष्ट उल्लेख एक अलग पृष्ठ पर अंकित कर व हस्ताक्षर करके संलग्न करना होगा।
- 12- निविदा मांगने वाला अधिकारी या उसका यथाविधि अधिकृत अधिकारी निर्धारित समय पर निविदा खोलेगा ओर इच्छुक निविदायक या उसका प्रतिनिधि निविदा के समय पर उपस्थित रह सकते हैं। किसी भी निविदा के लिए विशेष विवरण प्राप्त करने के लिये सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। निविदा अस्वीकृत होने की दशा में निविदायक की प्रतिभूति राशि को वापस कर दिया जायेगा।
- 13- निविदा स्वीकार करने वाला अधिकारी सबसे कम मूल्य की निविदा को स्वीकार करने को बाध्य नहीं है , उसे यह अधिकार है कि वह बिना किसी सूचना व कारण बताये आंशिक या समस्त निविदा को अस्वीकार कर सकता है। जिस निविदा में कोई शर्त पूरी नहीं की गई हो या जो अपूर्ण हो, उसे अस्वीकार किया जा सकता है। निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह बजट उपलब्धता के आधार पर बिल आफ क्वालिटी के अनुसार दिये गये कार्य में कमी व वृद्धि कर सकता है और फर्म उसके अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य होगी।
- 14- निविदा उस दिन से प्रभावी मानी जायेगी जिस दिन से प्रधानाचार्य द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी।
- 15- निविदा स्वीकृति प्राप्त होने के सात दिन के अन्दर निविदा दायक को रु 0-100/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध न करने की स्थिति में दरें निरस्त कर दी जायेगी।
- 16- निविदायक को कार्य आदेश के कार्य में खुदाई कार्य आदि व जो भी टूट फूट होगी सभी ठीक किया जायेगा तथा टूट फूट का सामान हटाकर सफाई आदि का पूरा कार्य करना होगा ।
- 17- बजट की उपलब्धत के अनुसार कार्य की आवश्यकता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखकर कार्य आदेश या प्रदाय आदेश दिया जायेगा। निविदा में दी गई मात्रा में आवश्यकता अनुसार कम व अधिक मात्रा का कार्य आदेश प्रदाय आदेश देने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य को होगा ।

- 18- निविदायक को सभी आदेशों के अनुरूप सभी सामग्री एप्रूव्ड क्वालिटी आई 0एस0आई0 मार्क प्रयोग करनी होगी। इस सामग्री को प्रयोग करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।
- 19- निविदायक के बिल से शासनादेश अनुसार आयकर , व्यापार कर तथा जो भी आवश्यक कटौतियाँ वांछित होंगी, काटी जायेगी व देय होंगी।

हस्ताक्षर निविदायक.....

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कालेज
झाँसी।